

Justification

जिला बालाघाट के बैहर विकासखंड में पैकेज क्रमांक एम.पी.01-223 अतरचुआ से बजगोंदी मार्ग का निर्माण/उन्नयन कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत किया जाना प्रस्तावित है। उक्त मार्ग निर्माण में 0.96 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त मार्ग के निर्माण/उन्नयन कार्य होने से यहाँ के रहने वाले आदिवासी, ग्रामवासियों को आने जाने मे सुविधा होगी एवं दुर्घटनाओं में कमी होगी तथा ग्रामवासियों का आवागमन सुगम होने से उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास होगा।


महेन्द्र प्रबधक

म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण
वरियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट